



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082026-275576
CG-DL-E-19082026-275576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948

No. 671]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 737(अ).— भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या G.S.R 712(E), दिनांक 28 जुलाई, 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में क्रम संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3. उक्त नियमों में, नियम 93 में, उप-नियम (1) में, खंड (ख) में, मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) एक रियर-व्यू मिरर, या इनडायरेक्ट विज़न के लिए युक्ति, या गार्ड रेल या डायरेक्शन इंडिकेटर या रब-रेल (रबर बीडिंग) जिसकी बाँड़ी के हर तरफ या साइड फुट स्टेप पर अधिकतम मोटाई 20 मिलीमीटर हो, या ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मूविंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, या नियम 138B के दूसरे प्रावधान के अनुसार लोड बाँड़ी को ढकने के लिए टिपर और डंपर पर लगाया गया सिस्टम, आदि जैसी उन्नत चालक सहायता प्रणाली के लिए प्रयुक्त होने वाले सेंसर और उनके केंसिंग को मोटर यान की कुल चौड़ाई को मापने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा और यदि संबंधित मानकों में निर्दिष्ट किया गया है तो उपरोक्त युक्ति निर्धारित आयाम के भीतर होंगी।”

[फा. सं. RT-11028/02/2026-MVL-Part(1)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 14th August, 2026

G.S.R. 737(E).— In the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport & Highways number G.S.R 712(E), dated the 28th July, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i),

for Sr. No. 3, the following shall be substituted namely:-

“3. In the said rules, in rule 93, in sub-rule (1), in clause (B), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

(i) A rear-view mirror, or devices for indirect vision, or guard rail or a direction indicator or rub-rail (rubber beading) having maximum thickness of 20 millimeter on each side of the body or side foot step, or sensors along with their casing used for advanced driver assistance systems such as Blind Spot Information System, Moving Off Information system, etc., or the system fitted on tippers and dumpers to enclose the load body as per the provision given in second proviso to rule 138B, shall not be taken into consideration in measuring the overall width of a motor vehicle and the above devices shall be within the prescribed dimension, if so specified in the respective standards.”.

[F.No. RT-11028/02/2026-MVL-Part(1)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.